

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2019/

10

भोपाल, दिनांक 03/01/2019

— आदेश —

संचालनालय के आदेश क्रमांक /01 जी/विज्ञप्त/सेल-5/2018/545 भोपाल दिनांक 09.04.2018 के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के शिशुरोग/निश्चेतना/स्त्रीरोग विशेषज्ञ/चिकित्सकों की सेवायें, वापस लेते हुए, विभाग में पदस्थ किया गया था, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये डॉ. अमीर सिंह मुकाती की सेवाये मूल विभाग में वापस लेने संबंधी आदेश निरस्त कर आदेश के सरल क्रमांक 07 पर अंकित डॉ. अमीर सिंह मुकाती चिकित्सा अधिकारी (डी.सी.एच) चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल का नाम विलोपित किया जाता है।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

CPH

3.1.19
(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2019/ 11

भोपाल, दिनांक 03/01/2019

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म0प्र0।
02. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय भोपाल की ओर उनके टीप पत्र क्र. 920/सीएमएस दिनांक 22.12.2018 के संबंध में म0प्र0।
03. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, म0प्र0।
04. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म0प्र0।
05. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल म0प्र0।
06. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, म0प्र0।
07. संयुक्त संचालक सह अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, ग्वालियर, म0प्र0।
08. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल म0प्र0।
09. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय भोपाल म0प्र0।
10. जिला कोषालय अधिकारी भोपाल म0प्र0।
11. संबंधित अधिकारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
12. प्रभारी एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल म0प्र0।
13. आदेश नस्ती।

CPH

3.1.19

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0